



318

194

M.35

प्रधान्यालय राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर कैम्प रीवा (म०प्र०)



1-9/12 प्र. क्रमांक - R 312-II/12

- 1- गजरूप चमार पिता किनकू चमार उम्र 65 वर्ष,
- 2- रामदीन चमार पिता किनकू चमार उम्र 56 वर्ष,
- 3- कामता चमार पिता किनकू चमार उम्र 50 वर्ष
- 4- मनफेर चमार पिता किनकू चमार (मृतक)
- 4- मु० तेरसिया पत्नी मनफेर उम्र 60 वर्ष,
- ख- जगन्नाथ चमार पिता मनफेर चमार उम्र 33 वर्ष,
- ख- सुखेन्द्र चमार पिता मनफेर चमार उम्र 31 वर्ष,
- घ- शिवकुमार चमार पिता मनफेर चमार (मृतक)

क्रमांक
रजिस्टर्ड पोस्ट
दिनांक

घ-1, रवि पिता शिवकुमार उम्र 9 वर्ष अवश्यक वली संरक्षक बडे पिता जगन्नाथ साकेत पिता मनफेर

- 5- मातादीन पिता अमीरे चमार उम्र-75 वर्ष,
- 6- देवीदीन पिता अमीरे चमार उम्र 65 वर्ष,

अधिकांक श्रीराजेश
सोपिनाद्वारा प्रस्तुत
टीका दि० 29.8.2012

सभी निवासी ग्राम कुशहा 95 थाना सगरा तहसील हुजूर जिला रीवा म०प्र०

आवेदकगण/निगरानीकर्तागण

बनाम

- 1- वशिष्ठ प्रसाद पिता श्यामलाल उर्फ ददऊ ब्राम्हण,
- 2- रामलाल पिता हरि प्रसाद ब्राम्हण
- 3- गणेश प्रसाद पिता नन्दकिशोर ब्रा०
- 4- अंगिरा प्रसाद पिता सम्पति प्रसाद ब्रा०
- 5- दिनेश प्रसाद ब्रा० पिता सम्पति प्रसाद ब्रा०
- 6- रामलखन पिता श्यामलाल ब्रा०

सभी निवासी ग्राम कुशहा- 95 थाना सगरा तहसील हुजूर जिला रीवा म०प्र०

- 7- शासन म०प्र० द्वारा जिलाध्यक्ष रीवा, म०प्र०

अनावेदकगण/गैरनिगरानीग्रहितागण

स्वमेव निगरानी बावत् निरस्त किये जाने अनाधिकृत एवं अवैध इन्द्राज भूमि पुराना ख०नं० 2/1.12, 9/5.32, 15/2.99, 16/3.24 एवं 92/1.52 ए कुल 05 कि० रकवा 14.19 ए०जिसका नया ख०क्र० 24, 31, 32, 33, 120, 121, 122, 123, 124, 02 एवं 09 स्थित ग्राम कुशहा 95 पटवारी हल्का लौआ (लक्ष्मणपुर), तहसील हुजूर, जिला रीवा (म०प्र०)स्वमेव निगरानी अन्तर्गत धारा-50 म० प्र० भू० रा० सं० 1959 ई०

कोर्टा दि० 22/3/2017
कोर्टा दि०

Handwritten signature/initials.

गजरूप

का
1.

वादी 02

जैरनिगराकार क्कोड 02 के बारिखान निम्नाधुखार


- 01. रुकमणी देवी पत्नी स्व० रामलाल प्रा० उम्र 80 साल
 - 02. प्रमोद कुमार तनय अनिल कुमार प्रा० उम्र 30 साल
 - 03. इन्द्रमणि प्रसाद तनय स्व० रामलाल प्रा० उम्र 30 साल
 - 04. सलोष कुमार तनय स्व० रामलाल प्रा० उम्र 40 साल
- सभी निवासी ग्राम कुशाला-95 थाना सपरा तह० डहरा
जिला सीता (म०प्र०)
के गया

कान
22/3
कत

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

क्रमांक R. 3112-II/12 जिला-रीवा

गजराज चमार विरुद्ध वशीष्ठ प्रसाद वर्गैर

(1)	(2)	(3)
16-1-19 -	<p>1. आवेदक की ओर से श्री <u>बी. एल. शर्मा</u> अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी कलेक्टर/ अपर कलेक्टर, जिला <u>रीवा</u> के प्रकरण क्रमांक <u>07/अ-19/500 नि/08-09</u> में पारित आदेश दिनांक <u>29.05.12</u> के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक <u>26.03.19</u> को कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: center;">  सदस्य </p>	

22/05/19



31, 32, 33, 120, 121, 122, 123, 124, 02 एवं 09 स्थित ग्राम कुशहा 95 पटवारी हल्का लौआ (लक्ष्मणपुर), तहसील हुजूर, जिला रीवा (म0प्र0) स्वमेव निगमानी अन्तर्गत धारा-50 म0 प्र0 मू0 रा0 सं0 1959 ई0

गजराज